
**कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला कलेक्टर)**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान जिला-टोंक

Email: egsmm.tonk@gmail.com

Tel.No.: 01432-247117, 01432-247157 Fax No.: 01432-247147



क्रमांक: एफ13 () MGNREGS / स्था./ले.सहा.-जेटीए भर्ती / 2017-18 / 1349

दिनांक :- 16/2/18

“कार्यालय आदेश”

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (अनु-3 महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर के पत्रांक एफ 11 (8) ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2016/93342 जयपुर दिनांक 25 मई, 2017 की अनुपालना एवं कार्यालय के पत्रांक एफ 13 () MGNREGS / स्था./जेटीए-ले.सहा. भर्ती / 2017-18 / 2859 दिनांक 03.11.2017 में जारी विज्ञप्ति अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों का गठित कमेटी द्वारा परीक्षणोपरांत वरीयता रोस्टर अनुसार मेरिट सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) टोंक में उपस्थित होने तथा इनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन के पश्चात् लेखा सहायक के पद का कार्य दिनांक 28.02.2018 तक सम्पादन करने हेतु संविदा अनुबंध पर लगाया जाता है। संबंधित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 22.02.2018 तक जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) टोंक में अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण करें।

अनुबन्ध राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार प्रभावी रहेगा एवं सक्षम अनुमति से आपसी सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए 500/- रु. का नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प, दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) स्वयं अभ्यर्थी द्वारा लाना होगा। अनुबंध की शर्तें राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कार्यालय द्वारा अवगत करायी जायेगी। उक्त सेवाएं पूर्णरूपेण अनुबंध पर आधारित रहेगी एवं नियमित सेवा हेतु सक्षम नहीं माने जावेंगे और न ही नियमितीकरण हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा। चयनित कार्मिकों को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय 8000/- रु. प्रतिमाह देय होगा।

लेखा सहायक के पद की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर किसी भी अभ्यर्थी की सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी। अनुबंध पर आधारित लेखा सहायकों की सेवाएं राज्य सरकार के निर्देशानुसार यथा प्रभावी रहेगी।


क. स.	नाम	पिता का नाम	पता	श्रेणी	विवि/संस्था का नाम	चयन श्रेणी
1	शुभम अग्रवाल	चन्द्रप्रकाश अग्रवाल	वार्ड 18 तह. व जिला टोंक	UR	आईसीएसआई, दिल्ली	UR(M)
2	नजीर मोहम्मद	मोहम्मद इस्लाम	ग्राम समरानियां तह. साहबाद जिला बारां	OBC	आईसीएसआई, दिल्ली	UR(M)
3	ओम कंवर	प्रभुदान सिंह	ग्रायत्री मंदिर रोड जाव के पास डेगाना जिला नागौर	OBC	सनराईज वि.वि. अलवर	UR(F)
4	भरत दान	हनुमान दान	ग्राम सुरपतिया तह. जायल जिला नागौर	OBC	सनराईज वि.वि. अलवर	UR(M)
5	गजराज चौधरी	उगमा राम	ग्राम दत्तोब तह. टोडारायसिंह जिला टोक	OBC	राज.वि.वि. जयपुर	UR(M)
6	राजू सैनी	घडसीराम सैनी	ग्राम राजपुरा जागीर तह. थानागाजी जिला अलवर	OBC	राज.वि.वि. जयपुर	OBC
7	प्रिंसी जैन	विमल कुमार जैन	दीवान मोहल्ला तह. कामा जिला भरतपुर	UR	राज.वि.वि. जयपुर	UR(F)
8	महेन्द्र कुमार सैनी	मख्खन लाल सैनी	ग्राम राजपुरा जागीर तह. थानागाजी जिला अलवर	OBC	राज.वि.वि. जयपुर	OBC
9	बीना बैरवा	रामकिशन बैरवा	ग्राम बगडी तह. पीपलू जिला टोंक	SC	राज.वि.वि. जयपुर	SC
10	अनिल कुमार	बाबूलाल	ग्राम भीमपुरा, कैथुन तह0 लाडपुरा जिला कोटा	SC	कोटा वि.वि.	SC
11	दिलखुश मीना	शंकर लाल मीना	ग्राम बिलोता तह. उनियारा जिला टोंक	ST	सनराईज वि.वि. अलवर	ST

(सुबेसिंह यादव)

जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)
सह जिला कलेक्टर, टोंक

क्रमांक: एफ13 () MGNREGS/स्था./ले.सहा.-जेटीए भर्ती/2017-18/1350-1366 दिनांक :- 16/2/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर
2. श्रीमान आयुक्त ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (अनुभाग-3) शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) सह जिला कलेक्टर, टोंक।
4. अधिशाषी अभियन्ता/लेखाधिकारी (ईजीएस) जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), टोंक को निर्देशित किया जाता है कि अनुबंध की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
5. अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री..... को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि तक अनुबंध संबंधित कार्यवाही पूर्ण करावें, अन्यथा आपकी अभ्यर्थिता/चयन निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
6. नोटिस बोर्ड, कलेक्ट्रेट/कार्यालय हाजा/जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), टोंक।
7. रक्षित पत्रावली।


अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम)
सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, टोंक